



प्रभाली - विद्यालय
जिला-दुर्ग

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी


जिला-दुर्ग (छ.ग.)

वृषभि रोड लाईन कान्वेट स्कूल
चानद्या, जिला-दुर्ग

विद्यालय मान्यता प्रमाण-पत्र

दिनांक - 05/10/2021 से 04/10/2024

चलो चलाएँ
शिक्षा गुणवता अभियान
और बढ़ाएँ
हम अपना सम्मान



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / 1418 / मान्यता / 2022

दुर्ग, दिनांक 08/01/2022

प्रति,
प्रबंधक, टरिडो म रजुकेलन सोलायरी
विद्यालय, जिला - दुर्ग

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 19/06/2021 के सुदूरमें और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत मैं टरिडो म रजुकेलन सोलायरी (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख 05/10/2021 से 04/10/2024 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा 10^{वीं} तक मान्यता प्रदान करने की संस्वच्छा देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यादीन है :-

1. मान्यता की स्वीकृत विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता करने के लिए कोई बाध्यता विवरित नहीं है।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिजिहि-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 (परिजिहि-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथाविति वर्तमान कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के ...25%... प्रतिशत तक अस-पदों के कमजोर बर्गों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा 03 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता/पिता या संरक्षक को किसी स्थिरिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सदून न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
- एक प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- दो किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्तीर्ण के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
- तीन प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- चार प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकारित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- पांच अधिनियम के उपबंधों 'च' के अनुसार निःशुल्क/विशेष आवधकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

- इ: अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु यह और भी कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।
- सात अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यपत्रों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :-
- | | |
|--|--|
| विद्यालय परिसर का खेत्रफल | : 9003.2 न. मर्गनील |
| कुल निर्मित का खेत्रफल | : 3.795.61. कौशल |
| खेत के मैदान का खेत्रफल | : 104.2. तर्जनित |
| कक्षाओं की संख्या | : 31. कल्पना व. 0. होली |
| प्रधानपाठक सह-कार्यालय सह-मण्डार के लिए कक्ष | : 02 |
| बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय | : 04/21. + 04/20 |
| पेयजल सुविधा | : R.O |
| मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई | : - |
| चाधारहित पहुँच | : 50. मी. |
| विद्यालय पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूल के उपस्कारों / पुस्तकालय की उपलब्धता : | विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी। |
| विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा। | विद्यालय की सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तस्मय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जारहा है। |
| विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है। | विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेन्ड द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला अधिकारी को भेजी जानी चाहिये। |
| आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक 104/202/3C है। कृपया इसे नोट कर सें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें। | विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निवेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर आपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं। |
| सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए। | संलग्न परिजिहि तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त। |

जिला शिक्षा अधिकारी
दुर्ग